न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0 123 आर 15/08

नथुनी सिंह

बनाम

महली मुण्डा

आदेश

05/01/11

यह अपीलवाद एस0 ए0 आर0 वाद सं0 145/07–08 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का विवरण निम्नवत हैः–

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
हेसल	77	445	15 कट्ठा

इस वाद में उभय पक्ष उपस्थित हुए है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इसी भूमि के लिये प्रतिवादी एवं उनके भाई के द्वारा इस वाद से पूर्व एस0 ए0 आर0 वाद सं0 126/01–02 अपीलार्थी के विरूद्ध दायर किया गया था। इनका दावा है कि इस वाद में महली मुण्डा भी बदला हुआ नाम उदय मुण्डा के रूप में पक्षकार थे। इस तथ्यो को प्रतिवादी ने छुपा कर पुनः निम्न न्यायालय में वाद दायर किया है। वाद सं0 126/01–02 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 21 ए के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत आदेश पारित हुआ था। उक्त आदेश के विरूद्ध दुर्गा मुण्डा के द्वारा वाद सं0 37 आर 15/04 दायर किया गया। जिसमें वाद को प्रतिप्रेषण करते हुए अधिक क्षतिपुर्ती दर भुगतान का निदेश दिया गया। बढ़ी हुई क्षतिपूर्ती की राशि भुगतान करने का आदेश निम्न नयायालय ने दिया जिसके आलोक में अपीलार्थी द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से क्षतिपूर्ती की राशि जमा कर दी। उक्त आदेश के खिलाफ

प्रतिवादी द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया बल्कि तथ्य को छुपा कर एक अलग वाद 145/07-08 दायर कर दिया। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश को अनदेखा कर आदेश पारित कर दिया गया। इनका आगे कहना है कि यह वाद पूर्व न्याय सिद्धान्त पर आधारित है। इनका अनुरोध है कि निम्न नयायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

दूसरी ओर प्रतिवादी का कहना था कि इनके पिता मैसा मुण्डा थे जिन्होने वाद सं0 126/01-02 दायर नहीं किया था। मैसा मुण्डा की मृत्यु 29.10.2001 को हो गई थी। अन्तरण सी0 एन0 टी0 की धारा 46 का उल्लंघन है। इनका कथन था कि उक्त भूमि पर भवन था। लेकिन पूर्व वाद के वादे में जानकारी के बावजूद अपीलार्थी द्वारा वाद सं0 145/07-08 में कोई चर्चा नहीं की गई। इस बिन्दु पर बहस के दौरान अपीलार्थी का कहना था कि वाद सं0 145/07-08 में इसकी चर्चा हुई थी परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इसे आदेश में नहीं लाया गया तथा इसे अनदेखा कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को एवं अभिलेखो से मैं इस निस्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध वाद सं0 126/01-02 एवं अपीलवाद 37 आर 15/04 दायर किया गया था। अपीलीय न्यायालय के आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा वाद सं0 126/01-02 में पुनः आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील दायर नहीं कर पुनः उसी न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध एक नया वाद दायर कर दिया गया जो न्याय संगत नहीं है तथा न्याय प्रक्रिया के विरूद्ध है।

अतः निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए वाद को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है वाद की पुनः सुनवाई कर नियम संगत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता
राँची।

अपर समाहर्ता
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 15:29:37 +05:30
Location: 192.168.2.175